

जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा –2025

आवेदन की अन्तिम तिथि 16.09.2024

विवरणिका

सत्र 2025–26 के लिए जनवि में कक्षा–6 में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा

अधिक जानकारी हेतु

हमारी बेवसाइट

www.navodaya.gov.in को देखें

परिचय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसार भारत सरकार ने जवाहर नवोदय विद्यालय (ज.न.वि.) प्रारम्भ किए थे। वर्तमान में जवाहर नवोदय विद्यालय 27 राज्यों और 8 संघ शासित क्षेत्रों में फैले हुए हैं। ये सह-शैक्षणिक आवासीय विद्यालय भारत सरकार द्वारा प्रशासित एवं पूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त एक स्वायत्त संगठन नवोदय विद्यालय समिति के माध्यम से संचालित हैं। जवाहर नवोदय विद्यालयों में कक्षा-6 के लिए प्रवेश **जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (JNVST)** के माध्यम से किए जाते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालयों में कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा है और इसके बाद से गणित और विज्ञान के लिए अंग्रेजी माध्यम तथा सामाजिक विज्ञान के लिए हिन्दी माध्यम है। जनवि के विद्यार्थी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं। इन विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा, भोजन, आवास, गणवेश (यूनीफार्म) एवं पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जाती हैं, केवल कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों से ₹ 600/- प्रति माह विद्यालय विकास निधि (VVN) के माध्यम से लिया जाता है, परन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी, दिव्यांग विद्यार्थी, सभी बालिका विद्यार्थी और विद्यार्थी जिनके अभिभावकों की आय गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) है, छूट दी गई है। छूट प्राप्त वर्ग (कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी, सभी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और बालिका विद्यार्थी तथा गरीबी रेखा के नीचे (BPL) परिवारों के पाल्य) के अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों के पाल्य से ₹ 1500/- प्रतिमाह की दर से विकास निधि के लिए अथवा माता-पिता द्वारा प्राप्त वास्तविक पाल्य शैक्षणिक भत्ता, जो भी कम हो, देय होगा परन्तु विद्यालय विकास निधि ₹ 600/- प्रतिमाह प्रति छात्र से कम नहीं होगी।

योजना के उद्देश्य

- (i) विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों को श्रेष्ठ गुणवत्ता युक्त आधुनिक शिक्षा के साथ सशक्त सांस्कृतिक घटक एवं मूल्यपरक शिक्षा, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, साहसिक क्रियाओं एवं शारीरिक शिक्षा प्रदान करना है।
- (ii) विद्यार्थियों की उचित स्तरीय त्रिभाषादक्षता प्राप्ति सुनिश्चित करना।
- (iii) हिंदी से अहिंदी भाषी तथा अहिंदी से हिंदी भाषी राज्यों में विद्यार्थियों के प्रवजन के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना।
- (iv) अनुभवों और सुविधाओं की सहभागिता के द्वारा विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रत्येक जनपद में केन्द्र बिन्दु के रूप में सेवाएं देना।

1.1 राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशवार जवाहर नवोदय विद्यालयों का वितरण

नवोदय विद्यालय योजना के अनुसार, प्रत्येक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय चरणबद्ध ढंग से खोला जाएगा। वर्तमान में 27 राज्यों और 08 संघ शासित प्रदेशों में कुल 653 नवोदय विद्यालय कार्यरत हैं। राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेशवार कार्यरत जनवि का वितरण निम्नवत है :

क्र. सं.	राज्य	जनवि की संख्या	क्र.सं	राज्य	जनवि की संख्या
01	आन्ध्र प्रदेश	13+02**	19	मध्य प्रदेश	51+02**+01*
02	अरुणाचल प्रदेश	17	20	महाराष्ट्र	33+01**
03	असम	27+01**	21	मणिपुर	09+02*
04	बिहार	38+01**	22	मेघालय	11+01**
05	चण्डीगढ़ (केन्द्रशासित)	1	23	मिजोरम	8
06	छत्तीसगढ़	27+01**	24	नागालैण्ड	11
07	दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव (केन्द्रशासित)	3	25	ओड़िशा	30+01**
08	दिल्ली (केन्द्रशासित)	5	26	पुद्दूचेरी (केन्द्रशासित)	4
09	गोवा	2	27	पंजाब	22+01**
10	गुजरात	33+01**	28	राजस्थान	33+02**
11	हरियाणा	21	29	सिक्किम	4
12	हिमाचल प्रदेश	12	30	तेलंगाना	9
13	जम्मू और कश्मीर (केन्द्रशासित)	19+01**	31	त्रिपुरा	8
14	झारखण्ड	24+02**	32	केन्द्रशासित अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	3
15	कर्नाटक	30+01**	33	उत्तर प्रदेश	75+01**
16	केरल	14	34	उत्तराखण्ड	13
17	लद्दाख (केन्द्रशासित)	2	35	पश्चिम बंगाल	17+01**
18	लक्षद्वीप (केन्द्रशासित)	1			
योग 630+20**+3*=653					

**** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की अधिक जनसंख्या संकेन्द्रण वाले जिलों हेतु स्वीकृत अतिरिक्त ज.न.वि.**

***विशिष्ट ज.न.वि.**

प्रत्येक विद्यालय में अधिकतम 80 विद्यार्थियों को चयन परीक्षा के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों की उपलब्धता के आधार पर छठी कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। समिति को यह अधिकार होगा कि पर्याप्त भवन उपलब्ध न होने अथवा किसी अन्य प्रशासनिक आवश्यकता की स्थिति में सम्बन्धित जिले में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में कमी करके 40 कर दे/अथवा जनवि चयन परीक्षा, प्रवेश/अथवा उसका परिणाम रोक दे।

- देश भर में 661 जवाहर नवोदय विद्यालय स्वीकृत हैं, जो तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों में स्थित हैं। इन 06 जिलों में कोई जवाहर नवोदय विद्यालय स्वीकृत नहीं हुआ है, सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और मुंबई उपनगरीय क्षेत्र जहाँ 100 प्रतिशत शहरी जनसंख्या है और ये जेएनवी योजना के तहत नहीं आते हैं।

1.2 जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा-2025

शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालयों हेतु कक्षा 06 में प्रवेश हेतु जनवि चयन परीक्षा दो चरणों में निम्नानुसार आयोजित की जाएगी।

- अ. **शनिवार 12 अप्रैल, 2025 को 11:30 बजे** जम्मू और कश्मीर राज्य (जम्मू-1, जम्मू-2 और सांबा को छोड़कर) मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम और अरुणाचल के दिबांग घाटी और तवांग जिलों में, हिमाचल प्रदेश के चम्बा, किन्नौर, मंडी, सिरमौर, कुल्लू, लाहौल और स्पीति और शिमला जिलों में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में, और केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह और कारगिल जिले।
- ब. **शनिवार, 18 जनवरी, 2025 को प्रातः 11:30 बजे** आन्ध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश (दिबांग घाटी और तवांग जिलों को छोड़कर), बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश (चम्बा, किन्नौर, मंडी, सिरमौर, कुल्लू, लाहौल और स्पीति और शिमला जिलों को छोड़कर), जम्मू और कश्मीर (केवल जम्मू-1, जम्मू-2 और सांबा के लिए) झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल (दार्जिलिंग को छोड़कर), केन्द्र शासित प्रदेश अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी।

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर, 2024 है।

2.1 जनवि चयन परीक्षा-2025 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया

- ❖ जनवि चयन परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को सरलीकृत कर ऑनलाइन कर दिया गया है। नविस की लिंक <https://navodaya.gov.in> के प्रवेश पोर्टल पर जाकर निःशुल्क पंजीकरण किया जा सकता है।
- ❖ अभ्यर्थी और माता-पिता अधिसूचना, सह विवरणका के आधार पर योग्यता मानदण्डों को पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
- ❖ निम्नलिखित प्रपत्र(10 से 100 केबी के बीच में जेपीजी प्रारूप)साफ्ट कॉपी में पंजीकरण हेतु तैयार रखे जा सकते हैं :
 - निर्धारित प्रारूप में प्रधानाध्यापक द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र पर अभ्यर्थी का उल्लिखित पूर्ण विवरण।
 - फोटोग्राफ
 - माता-पिता का हस्ताक्षर
 - अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

- आधार का विवरण / सक्षम सरकारी अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र
- ❖ आवेदन पोर्टल पर अभ्यर्थी का मूलभूत विवरण जैसे: राज्य, जिला, खण्ड, आधार संख्या, पेन (PEN) संख्या आदि भरा जाएगा ।
- ❖ योग्य अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरना होगा और अभ्यर्थी व उसके माता-पिता दोनों के हस्ताक्षर एवं अभ्यर्थी की फोटो के साथ प्रमाणित प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। माता-पिता द्वारा प्रमाण पत्र में उपलब्ध कराए गए विवरण की जाँच अभ्यर्थी के द्वारा पढ़े जाने वाले कक्षा-5 के विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा की जाएगी । केवल 10-100 केंबी के बीच के आकार का प्रमाण पत्र जेपीजी प्रारूप में ही अपलोड किया जाना चाहिए ।
- ❖ एन.आई.ओ.एस. अभ्यर्थी होने की दशा में अभ्यर्थी के पास 'ब' प्रमाण पत्र होना चाहिए और मूल निवास उसी जिले में होना चाहिए, जहां वह प्रवेश चाहता/चाहती है।
- ❖ ऑनलाइन प्लेटफार्म खुला माध्यम एवं निःशुल्क है। आवेदन पत्र किसी भी माध्यम से भरा जा सकता है जैसे-डेस्कटॉप, लेपटॉप, मोबाइल, टैबलेट इत्यादि।
- ❖ आवेदन अपलोड करने के लिए सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों में अभ्यर्थियों/माता-पिता हेतु निःशुल्क सहायता केन्द्र उपलब्ध होंगे। माता-पिता अपने पाल्य (अभ्यर्थी) के साथ वांछित प्रमाण पत्र जैसे-अभ्यर्थी का फोटो तथा अभ्यर्थी एवं उसके माता-पिता दोनों के हस्ताक्षर सहित सत्यापित प्रमाण पत्र, वैध सक्रिय मोबाइल संख्या, एसएमएस तथा पासवर्ड एवं पंजीकरण संख्या प्राप्त करने हेतु मोबाइल फोन के साथ पंजीकरण प्रक्रिया हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय के सहायता केन्द्र पर संपर्क कर सकते हैं।
- ❖ पोर्टल में सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए जिसे चयन के पश्चात प्रवेश के समय सहायक दस्तावेज के साथ प्रमाणित किया जा सके । उम्मीदवारों को केवल उसी जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए आवेदन करने की सलाह दी जाती है, जिसके लिए वे पात्र हैं। निवास और अध्ययन विवरण में गलत जानकारी देने पर उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।
- ❖ चूंकि ऑनलाइन डाटा लिया जा रहा है इसलिए अनुरोध है कि आवेदन पत्र में ऑनलाइन डाटा सावधानी पूर्वक भरा जाए । ऑनलाइन आवेदन पत्र और संलग्न प्रमाण पत्र में प्रस्तुत जानकारी के बीच डाटा विसंगति के मामले में ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रस्तुत की गई जानकारी को आगे की प्रक्रिया हेतु अन्तिम रूप में माना जाएगा । आवेदकों द्वारा प्रस्तुत डेटा को ठीक/संशोधित करने के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा क्योंकि सुधार विंडो की सुविधा उपलब्ध है।
- ❖ आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि के पश्चात केवल चयनित क्षेत्रों में सूचना को संशोधित करने हेतु दो दिनों के लिए सुधार विंडो खोली जाएगी । सुधार विंडो खोलने की सूचना नविस की वेबसाइट/पंजीकरण पोर्टल पर अपलोड की जाएगी ।
- ** अपने जिले के ब्लॉक विवरण को आवेदन पत्र भरने से पहले वेबसाइट पर जाँचें। उदाहरण के लिए दिल्ली के जवाहर नवोदय विद्यालयों (JNVs) के ब्लॉक विवरण परिशिष्ट-ए (A) के रूप में संलग्न है।

सभी संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि परिणामों की घोषणा के बाद अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों का जिले का निवास, आयु, अध्ययन के जिले सहित पात्रता, श्रेणी (ग्रामीण/शहरी, ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग) आदि सभी साक्ष्यों का सत्यापन निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मानदण्ड के अनुसार किया जाएगा।

2.2 प्रवेश पत्र जारी करना

प्रवेश पत्र नविस द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा जो कि आवेदन पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। जनवि चयन परीक्षा 2025 के आयोजन से पूर्व अभ्यर्थी/माता-पिता द्वारा प्रवेश पत्र निःशुल्क डाउनलोड किया जाएगा।

2.3 चयन परीक्षा का परिणाम

जेएनवी चयन परीक्षा-2025 का ग्रीष्म कालीन जनवि के लिए परीक्षा परिणाम मार्च, 2025 तक तथा शीत कालीन जनवि के लिए परीक्षा परिणाम मई, 2025 तक घोषित होने की संभावना है। अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम आवेदन पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा परिणाम संबंधित कार्यालयों में भी प्रदर्शित कर दिया जाएगा—

- (i) जवाहर नवोदय विद्यालय
- (ii) जिला शिक्षा अधिकारी
- (iii) जिलाधिकारी
- (iv) उपायुक्त, नवोदय विद्यालय समिति संभाग
- (v) नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट www.navodaya.gov.in

अस्थाई चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य द्वारा भी पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस तथा साथ ही स्पीड पोस्ट से भी सूचना दी जाएगी।

अस्थाई रूप से चयनित उम्मीदवारों के द्वारा अनिच्छा और बुनियादी आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण नविस रिक्त स्थानों के सापेक्ष केवल दो प्रतीक्षा सूची जारी करेगा। सत्र 2025-26 के लिए सम्पूर्ण प्रवेश प्रक्रिया 31 दिसम्बर 2025 तक बंद कर दी जाएगी।

अस्थाई चयन एवं प्रवेश

- 3.1 परीक्षा में अस्थाई चयन होने मात्र से ही अभ्यर्थी जनवि में प्रवेश पाने का अधिकारी नहीं होगा। स्थाई रूप से प्रवेश के समय प्रत्येक अस्थाई चयनित अभ्यर्थी को नवोदय विद्यालय समिति द्वारा निर्धारित सभी संबंधित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। प्रवेश होने तक चयन अस्थाई माना जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित जनवि द्वारा प्रपत्रों के सत्यापन एवं प्रवेश की पुष्टि होने के पश्चात ही पूर्ववर्ती विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें।
- 3.2 किसी भी विवाद की स्थिति में नवोदय विद्यालय समिति का निर्णय अभ्यर्थियों पर अंतिम एवं बाध्यकारी होगा और इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जाएगा।

- 3.3 उत्तर पुस्तिकाओं के पुर्नमूल्यांकन एवं अंकों का पुनः योग का कोई प्रावधान नहीं है, चूंकि परिणाम कम्प्यूटर की सहायता से तैयार किया जाता है और परिणाम तैयार करते समय विभिन्न स्तर पर जांच के माध्यम से परिणाम को सटीक बनाने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जाती है।
- 3.4 अभ्यर्थी तथा उनके माता-पिता ध्यान दें कि नविस की योजना के अनुसार जब विद्यार्थी कक्षा 9 में प्रोन्नत होगा तब उसे हिंदी भाषी राज्य के जनवि से अहिंदी भाषी राज्य के दूसरे जनवि और इसी तरह अहिंदी भाषी से हिंदी भाषी जनवि में एक शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवजन पर जाना पड़ेगा। इस प्रकार के प्रवजन हेतु चुने गये विद्यार्थी/माता-पिता द्वारा इंकार किये जाने पर उसको जनवि में अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
- 3.5 अभ्यर्थी और उनके माता-पिता ध्यान दें कि परीक्षा के आधार पर अस्थाई चयनित बच्चों को उसी जिले के ज.न.वि. में प्रवेश दिया जाएगा, जहां वह निवास कर रहे हैं एवं कक्षा-5 में पढ़ रहे हैं और ज.न.वि. चयन परीक्षा (जनवीएसटी) में सम्मिलित हो रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में अस्थाई चयनित अभ्यर्थी को अन्य जनवि में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी को सम्बन्धित जनवि में पढ़ाई के माध्यम अथवा माता-पिता को अन्य जिले/राज्य में बदलाव की स्थिति में विद्यार्थी के विद्यालय में बदलाव हेतु प्रार्थना पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। सभी अस्थाई चयनित अभ्यर्थियों को उसी जिले का निवास प्रमाण पत्र जमा करना होगा जहाँ उसने कक्षा-5 में अध्ययन किया है और जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए आवेदन किया है। उसे प्रवेश के समय संबंधित सरकारी अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- 3.6 अस्थाई चयनित होने पर अनुसूचित जाति (एस सी), अनुसूचित जनजाति (एस टी) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ बी सी) के अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत अस्थाई चयनित अभ्यर्थी को केन्द्रीय सूची (प्रति संलग्न) के निर्धारित प्रारूप के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। ऐसा प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से पूर्व में ही प्राप्त कर लिया जाए जिससे कि संबंधित जनवि के प्राचार्य को दस्तावेज की जाँच के समय प्रस्तुत किया जा सके।
- 3.7 ग्रामीण वर्ग में आवेदन किए अभ्यर्थियों को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रवेश के समय देना होगा कि जहाँ से अभ्यर्थी ने कक्षा-3, 4 एवं 5 में अध्ययन किया है, वह विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है।

- 3.8 अभ्यर्थी दिव्यांग वर्ग (अस्थि, श्रवण एवं दृष्टि संबंधी दिव्यांगता) की श्रेणी में आता है, तो उसके अस्थाई चयनित होने पर प्रवेश लेते समय निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चिकित्सा-प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 3.9 ट्रांसजेन्डर वर्ग के अभ्यर्थियों को सम्बन्धित राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा अपने लिंग से सम्बन्धित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। इस श्रेणी हेतु अलग से कोई आरक्षण नहीं है।
- 3.10 प्रतीक्षा सूची जारी करने सहित सम्पूर्ण प्रवेश प्रक्रिया 31 दिसम्बर, 2025 को बन्द हो जाएगी यद्यपि नवोदय विद्यालय समिति प्रशासनिक कारणों से, यदि कोई है, उसमें परिवर्तन करने का अधिकार रखती है।

कौन पात्र है

सभी अभ्यर्थियों के लिए :

- 4.1(अ) जनवि में कक्षा 6 में उम्मीदवार का प्रवेश का जिला विशिष्ट है। एक उम्मीदवार जो एक जिले में पांचवी कक्षा में अध्ययन कर रहा हो, उसे उसी जिले के जनवि में प्रवेश के लिए आवेदन करने की अनुमति है। **केवल संबंधित जिले के वास्तविक निवासी और उसी जिले में कक्षा 5 में अध्ययनरत उम्मीदवार** जहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित है, जेएनवीएसटी के माध्यम से प्रवेश के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। प्रवेश के समय अस्थाई रूप से चयनित उम्मीदवार के माता-पिता को उसी जिले का जहाँ उम्मीदवार ने कक्षा-5 में अध्ययन किया है और जनवीएसटी के लिए उपस्थित हुआ है, भारत सरकार द्वारा जारी वैध निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। हालांकि लेकिन उन जिलों के लिए जहाँ कि जनवि प्रारम्भ होने के बाद जिले का विभाजन हुआ है एवं यदि विभाजन से निर्मित जिले में नवीन विद्यालय नहीं खोला गया है तो जनवि चयन परीक्षा में प्रवेश हेतु जिले की पुरानी सीमा के अनुरूप अभ्यर्थियों की पात्रता रहेगी।
- (ब) उम्मीदवार उसी जिले का निवासी होना चाहिए जिस जिले में जनवि स्थित है और जिसमें वह प्रवेश चाह रहा है/चाह रही है। अस्थाई चयन के पश्चात माता-पिता का प्रमाणिक निवास प्रमाण पत्र सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।
- (स) उम्मीदवार सत्र 2024-25 में उसी जिले के किसी सरकारी अथवा सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा-5 में अध्ययन किया हो।
- (द) सत्र 2024-25 से पहले पांचवीं कक्षा पास करने वाले उम्मीदवार या रिपीटर अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है। एनवीएस को रिपीटर उम्मीदवारों की पहचान करने के

लिए पिछले वर्ष के आवेदन डाटा की तुलना करने का अधिकार है । यदि ऐसा संज्ञान में आता है तो ऐसे उम्मीदवारों को जेएनवीएसटी 2025 के माध्यम से प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- 4.2 प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी का जन्म **01.5.2013 से पहले तथा 31.07.2015 (दोनों तिथियाँ सम्मिलित)** के बाद का नहीं होना चाहिए। अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थी को प्रवेश के समय संबंधित सरकारी अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। यह अनुसूचित जाति(एस सी), अनुसूचित जनजाति (एस टी) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ बी सी) समेत सभी अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू होगा। अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र में दर्ज आयु एवं अधिक उम्र के सन्देह होने पर उन्हें आयु की प्रमाणिकता हेतु मेडिकल बोर्ड भेजा जा सकता है। **मेडिकल बोर्ड का निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी होगा।**
- 4.3 चयन परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी को उसी जिले, जहाँ वह प्रवेश लेना चाहता/चाहती है, के किसी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त या अन्य मान्यता प्राप्त अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से योग्यता 'प्रमाण पत्र-ब' सहित पूर्ण शैक्षिक सत्र **2024-25** के दौरान कक्षा 5 में अध्ययनरत होना चाहिए। अभ्यर्थी जो प्रोन्नत नहीं किया गया है और जिसने कक्षा-5 में 31 जुलाई, 2024 से पूर्व प्रवेश नहीं लिया है, आवेदन करने के योग्य नहीं है। अभ्यर्थी जो कक्षा-5 पूर्ववर्ती शैक्षिक सत्रों में उत्तीर्ण/अध्ययन कर चुका है, चयन परीक्षा में आवेदन और बैठने के लिए पात्र नहीं है। सरकार अथवा सरकार की ओर से अधिकृत किसी एजेन्सी के द्वारा मान्यता प्राप्त घोषित विद्यालय को ही मान्यता प्राप्त माना जाएगा। विद्यालय, जिनके छात्र राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान से योग्यता प्रमाण पत्र-‘ब’ प्राप्त किए हों, उन्हें एनआईओएस द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अभ्यर्थी को सत्र **2024-2025** में सफलतापूर्वक कक्षा-5 पूर्ण किया होना चाहिए। कक्षा 6 में सत्र **2025-2026** में वास्तविक प्रवेश उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा।
- 4.4 कक्षा-6 में प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा-3, 4 और 5 में प्रत्येक वर्ष पूर्ण शिक्षा सत्र में अवश्य पढ़ाई की हो एवं उत्तीर्ण हुआ हो।
- 4.5 अभ्यर्थी, जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान से 'ब' प्रमाण पत्र दक्षता सहित **15 सितम्बर, 2024** तक या उससे पूर्व उत्तीर्ण करेंगे वे भी प्रवेश परीक्षा में आवेदन एवं सम्मिलित होने के योग्य हैं, अगर वे निर्धारित आयु सीमा में हों। नगरीय एवं अधिसूचित क्षेत्रों से पढ़ने वाले विद्यार्थी जो उपर्युक्त योजनाओं में अध्ययन कर रहे हों, वे ग्रामीण कोटे के अन्तर्गत प्रवेश के

पात्र नहीं होंगे। एन.आई.ओ.एस उम्मीदवारों की ग्रामीण और शहरी अवस्थिति का निर्णय उनके माता-पिता के निवास की स्थिति के आधार पर किया जाएगा।

4.6 किसी भी परिस्थिति में कोई भी उम्मीदवार दूसरी बार चयन परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं है। आवेदन में उम्मीदवार द्वारा भरे गये विवरण को मान्य किया जाएगा और यदि उम्मीदवार को दूसरी बार (रिपीटर) पाया जाता है तो चयन परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे उम्मीदवारों के लिए प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे और उसका/उसकी उम्मीदवारी किसी भी चरण में निरस्त कर दी जाएगी।

4.7 आधार अधिनियम की धारा 4 (4)(ब)(II) के अधीन जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 05.08.2020 को सुशासन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 के लिए आधार प्रमाणीकरण अधिसूचित किया है और आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं को लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 के अनुसरण में, योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले बच्चे को आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार प्रमाणीकरण से गुजरना होगा। नवोदय विद्यालय समिति के संबंध में आवश्यक अधिसूचनाएं संबंधित मंत्रालय द्वारा पहले ही जारी की जा चुकी हैं। कोई भी बच्चा जो योजना के तहत प्रवेश चाहता है, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, उसे योजना के लिए पंजीकरण करने से पहले अपने माता-पिता या अभिभावकों की सहमति के अधीन आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, बशर्ते कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार है और ऐसे बच्चे जो किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (यूआईडीएआई की वेबसाइट : www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची) पर आधार पंजीकरण के लिए जाएंगे। जनवि में भी आधार नामांकन के लिए पंजीकरण की सुविधा है। उम्मीदवारों द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के साथ सुविधा का लाभ लिया जा सकता है। सरकारी पोर्टल पर आधार का उपयोग करके उम्मीदवार/माता-पिता के डाटा को मान्य किया जाएगा। उम्मीदवार/माता-पिता के द्वारा प्रस्तुत सभी व्यक्तिगत विवरण को आधार के विवरण से मेल होना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उम्मीदवार आधार विवरण को अद्यतन करवाएँ।

जब तक बच्चे की आधार संख्या जारी नहीं होती तब तक वह संबंधित सक्षम सरकारी अधिकारी द्वारा जारी माता-पिता के निवास प्रमाण पत्र को अपलोड करके स्वयं को पंजीकृत करा सकता है/सकती है, हालांकि उसका पंजीकरण अस्थायी माना जाएगा और यदि उसका अस्थायी रूप से चयन होता है उसे चयन परीक्षा और प्रवेश के समय आधार कार्ड की प्रति

जमा करनी होगी । यह सुनिश्चित करेगा कि पात्र उम्मीदवार को जनवि में प्रवेश मिले जहां गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, भोजन व आवास सहित सभी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं ।

ग्रामीण अभ्यर्थियों के लिए

- (अ) जिले में कम से कम 75 प्रतिशत स्थान जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे । शेष स्थानों को जिले के आरक्षण मानदण्ड के अनुसार खुले तौर पर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर भरे जाएंगे ।
- (ब) ग्रामीण क्षेत्र के कोटे के अन्तर्गत प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थी को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित किसी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से तीसरी, चौथी तथा पांचवी कक्षा में पूर्ण शैक्षणिक सत्र में अध्ययन किया हो **हालांकि अभ्यर्थी ने कक्षा-5 में पूर्ण शैक्षणिक सत्र में उसी जिले के ग्रामीण क्षेत्र में अध्ययन किया हो, जहां वह प्रवेश चाहता है।**
- (स) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान की योजना के तहत पढ़ने वाले अभ्यर्थी को जिलाधिकारी/तहसीलदार/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का ग्रामीण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह ग्रामीण क्षेत्र में विगत तीन वर्षों से अध्ययनरत है एवं निवास कर रहा है ।

शहरी अभ्यर्थियों के लिए

जिस अभ्यर्थी ने किसी शहरी क्षेत्र में स्थित विद्यालय में तीसरी, चौथी तथा पांचवी कक्षा के शिक्षा सत्र के दौरान यदि एक दिन भी उस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की हो, वह शहरी अभ्यर्थी माना जायेगा। शहरी क्षेत्र वे हैं जिन्हें किसी सरकारी अधिसूचना द्वारा जनवीएसटी आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि तक निर्धारित किया गया हो अन्य सभी क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्र माना जाएगा ।

ट्रांसजेन्डर श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए

ट्रांसजेन्डर श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अलग से कोई आरक्षण उपलब्ध नहीं है और उन्हें आरक्षण हेतु बालकों की श्रेणी में विभिन्न उप श्रेणियों जैसे-शहरी, ग्रामीण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग में सम्मिलित किया जायेगा ।

स्थानों का आरक्षण

- (अ) जिले में कम से कम 75 प्रतिशत स्थान जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे। शेष स्थान खुले तौर पर जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर भरे जाएंगे ।

- (ब) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए स्थान का आरक्षण सम्बन्धित जिले की जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है किन्तु किसी भी जनपद में राष्ट्रीय अनुपात (15 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति) से कम तथा 50 प्रतिशत (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जोड़कर) से अधिक नहीं होना चाहिए यह आरक्षण अन्तर परिवर्तनीय है और खुली वरीयता सूची के अन्तर्गत अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त लागू होगा।
- (स) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के आरक्षण के अतिरिक्त 27 प्रतिशत आरक्षण **केन्द्रीय सूची के अनुसार** अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण केन्द्रीय सूची जैसा कि समय समय पर जारी की जाती है, के अनुसार लागू किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन अभ्यर्थियों को केन्द्रीय सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है वे सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकेंगे।
- (द) कुल स्थानों के एक तिहाई स्थान बालिकाओं द्वारा भरे जायेंगे। बालिकाओं का एक तिहाई चयन सुनिश्चित करने के लिए नविस चयन मानदण्ड के अनुसार जहाँ भी आवश्यक हो, बालिकाओं को बालकों से अधिक प्राथमिकता दी जाएगी।
- (इ) ग्रामीण खुले स्थानों को नविस चयन मानदण्ड के अनुसार संबंधित खण्ड की ग्रामीण आबादी की आधार पर खण्डवार आवंटित किया जाता है।
- (फ) ****दिव्यांग बच्चों** (अस्थि दिव्यांग, श्रवण बाधित एवं दृष्टि बाधित) के लिए भारत सरकार के नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान है।

****दृष्टि दिव्यांगता**** निम्न शर्तों में से किसी एक के होने पर ही मान्य होगी जैसे :-

- (i) सम्पूर्ण दृष्टिहीनता : अथवा
- (ii) अपेक्षाकृत अच्छे नेत्र में ऐनक के साथ दृष्टि तीव्रता 6/60 या 20/200 (Snellen) से अधिक न हो अथवा
- (iii) दृष्टि के क्षेत्र परिसीमन का कोण 20 अंश या उससे खराब।

****श्रवण बाधिता**** संवाद क्षेत्र की बारम्बारता में अपेक्षाकृत अच्छे कान में 60 या इससे अधिक डेसिबल (decibels) की क्षति।

****लोकोमोटर दिव्यांगता**** (Locomotor disability) अस्थियों, जोड़ों या मांसपेशियों की विकलांगता के चलते हाथ पैरों के संचालन में विशेष रुकावट या मांसपेशियों के नियंत्रण या संचालन में रुकावट (Any form of cerebral palsy) व्यक्ति जिन्हें बेंचमार्क दिव्यांगता है:- जैसे बौनापन और एसिड अटैक से पीड़ित, इस श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं।

****दिव्यांग व्यक्ति**** का तात्पर्य है कि किसी तरह की विकलांगता जो 40 प्रतिशत से कम न हो और जिसे चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

चयन के उपरान्त प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र

प्रवेश के लिए अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों के माता-पिता को सत्यापन हेतु प्रवेश के समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

- (i) जन्मतिथि प्रमाण पत्र—संबंधित सक्षम सरकारी अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की प्रति ।
- (ii) नविस की शर्तों के अनुसार योग्यता प्रमाण पत्र ।
- (iii) ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए उनके माता-पिता को सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि पाल्य ने कक्षा 3, 4, व 5 ग्रामीण क्षेत्र में स्थित संस्थान/स्कूल में अध्ययन किया था ।
- (iv) निवास प्रमाण पत्र : माता-पिता का उसी जिले का वैध निवास प्रमाण पत्र (भारत सरकार द्वारा अधिसूचित) जहाँ ज.न.वि. स्थित है एवं उम्मीदवार ने कक्षा-5 का अध्ययन किया है, प्रस्तुत करना होगा ।
- (v) अभ्यर्थी के आधार कार्ड की प्रति : आधार अधिनियम की धारा 7 के अनुसार नवोदय विद्यालय योजना के अन्तर्गत अस्थाई चयनित उम्मीदवार को प्रवेश प्राप्त करने हेतु आधार की प्रति जमा करनी होगी ।
- (vi) कक्षा 3, 4, व 5 के अध्ययन विवरण के संबंध में विद्यालय के प्रधानाध्यापक का प्रमाण पत्र ।
- (vii) चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ।
- (viii) प्रवजन के लिए शपथ पत्र ।
- (ix) दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- (x) श्रेणी/समुदाय प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति) यदि लागू हो ।
- (xi) अन्य पिछड़ा वर्ग/समुदाय प्रमाण पत्र, केन्द्र सूची के अनुसार यदि लागू हो । (संलग्न प्रारूप में)

नोट:— संबंधित जनवि द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन एवं प्रवेश की पुष्टि प्राप्त करने के पश्चात मूल विद्यालय से जिला शिक्षा अधिकारी (डी.ई.ओ/बी.ई.ओ आदि) से प्रतिहस्ताक्षरित स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना होगा ।

चयन परीक्षा के बारे में

1. परीक्षा केन्द्र

प्रत्येक अभ्यर्थी उसके प्रवेश पत्र पर दर्शाए गए एवं आवंटित परीक्षा केन्द्र से ही चयन परीक्षा देगा। किसी भी अभ्यर्थी को अन्य किसी भी परीक्षा केन्द्र में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा। कोई भी अभ्यर्थी उचित प्रवेश-पत्र के बिना चयन परीक्षा में नहीं बैठ सकता है। प्रवेश पत्र नविस, मुख्यालय की वेबसाइट www.navodaya.gov.in आवेदन पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है।

2. उम्मीदवार को स्वयं का आधार कार्ड अथवा आवेदन पोर्टल पर अपलोड किया गया सरकार द्वारा स्वीकृत माता-पिता के निवास प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करने पर ही उसे चयन परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी ।
3. निरीक्षक द्वारा परीक्षा केन्द्र पर सत्यापन के समय उम्मीदवार से प्रवेश पत्र की फोटो का मिलान किया जाएगा। यदि कोई विसंगति है, तो उम्मीदवार को संबंधित जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य से तुरंत संपर्क करना चाहिए।

4. परीक्षा की भाषा

जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशवार विभिन्न भाषाओं में आयोजित की जायेगी जो निम्नवत् है:

राज्य / केन्द्रशासित प्रदेश का नाम	भाषाएं
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	हिन्दी, अंग्रेजी, तमिल, उर्दू, बंगाली
आन्ध्र प्रदेश	हिन्दी, अंग्रेजी, तेलगू, मराठी, उर्दू, उड़िया, कन्नड़
अरुणाचल प्रदेश	अंग्रेजी, हिन्दी
असम	अंग्रेजी, हिन्दी, असमिया, बोडो, गारो, बंगाली, मणिपुरी (बंगला लिपि), मणिपुरी (मैतेई मायेक)
बिहार	अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू
चण्डीगढ़	अंग्रेजी, हिन्दी, पंजाबी
छत्तीसगढ़	अंग्रेजी, हिन्दी,
दिल्ली	अंग्रेजी, हिन्दी
गोवा	अंग्रेजी, हिन्दी, मराठी, कन्नड़
गुजरात	अंग्रेजी, हिन्दी, गुजराती, मराठी
हरियाणा	अंग्रेजी, हिन्दी
हिमाचल प्रदेश	अंग्रेजी, हिन्दी
जम्मू और कश्मीर	अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू
झारखण्ड	अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, उड़िया
कर्नाटक	हिन्दी, अंग्रेजी, कन्नड़, तेलगू, मराठी, उर्दू, मलयालम, तमिल
केरल	हिन्दी, अंग्रेजी, मलयालम, तमिल, कन्नड़
लक्षद्वीप	हिन्दी, अंग्रेजी, मलयालम
मध्य प्रदेश	अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, मराठी, गुजराती
महाराष्ट्र	अंग्रेजी, हिन्दी, कन्नड़, मराठी, उर्दू, तेलगू, गुजराती, बंगाली
मणिपुर	अंग्रेजी, हिन्दी, मणिपुरी (मैतेई मायेक)
मेघालय	अंग्रेजी, हिन्दी, खासी, गारो, बंगाली, असमिया
मिजोरम	अंग्रेजी, हिन्दी, मिजो
नागालैण्ड	अंग्रेजी, हिन्दी,
ओड़िशा	अंग्रेजी, हिन्दी, तेलगू, उड़िया, उर्दू
पुद्दूचेरी	अंग्रेजी, तमिल, तेलगू, मलयालम, हिन्दी
पंजाब	अंग्रेजी, हिन्दी, पंजाबी
राजस्थान	अंग्रेजी, हिन्दी
सिक्किम	अंग्रेजी, हिन्दी, नेपाली
तेलंगाना	हिन्दी, अंग्रेजी, तेलगू, कन्नड़, मराठी, उर्दू
त्रिपुरा	अंग्रेजी, हिन्दी, बंगाली
यू.टी. लद्दाख	अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू
यू.टी. दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव	अंग्रेजी, हिन्दी, गुजराती, मराठी
उत्तर प्रदेश	अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू
उत्तराखण्ड	अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू
पश्चिम बंगाल	अंग्रेजी, हिन्दी, बंगाली, नेपाली, उर्दू

नोट:-अभ्यर्थी को परीक्षा में उसी भाषा की परीक्षा पुस्तिका दी जाएगी जिस भाषा का उल्लेख उसके द्वारा आवेदन पत्र में किया गया है। परीक्षा के माध्यम की भाषा बदलना संभव नहीं है इसलिए सलाह दी जाती है कि भाषा/ माध्यम का चयन सावधानी से किया जाए।

5. चयन परीक्षा की संरचना

चयन परीक्षा की अवधि 2 घण्टे 11.30 पूर्वाह्न से 1.30 अपराह्न तक होगी और इसके तीन खण्ड केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के होंगे। सम्पूर्ण 100 अंक के 80 प्रश्न हैं।

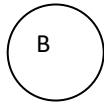
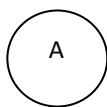
परीक्षा का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अंक	समयावधि
मानसिक योग्यता परीक्षा	40	50	60 मिनट
अंकगणित परीक्षा	20	25	30 मिनट
भाषा परीक्षा	20	25	30 मिनट
योग	80	100	2 घण्टे

प्रत्येक अभ्यर्थी को तीन खण्डों की एक ही परीक्षा पुस्तिका दी जायेगी। **दिव्यांग** विद्यार्थियों (भिन्न रूप से सक्षम विद्यार्थियों) को 40 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

6. उत्तर अंकित करने की विधि

- (अ) अलग से एक उत्तर पत्रक ओएमआर (Optical Mark Recognition) उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थियों को केवल उसी ओएमआर पत्रक में उचित स्थान पर अपना उत्तर चिह्नित/अंकित करना आवश्यक है। ओएमआर पत्रक की नमूना प्रति प्रवेशिका में नविस की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी।
- (ब) ओएमआर . पत्रक पर उत्तर अंकित करने के लिए केवल नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन का ही प्रयोग करें। अभ्यर्थियों को अपना बॉल पेन अपने साथ लाना चाहिए। पेंसिल का प्रयोग सख्त वर्जित है।
- (स) प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर होंगे जिसमें केवल एक ही उत्तर सही है। **अभ्यर्थी को सही विकल्प का चयन करना है और सही विकल्प वाले गोले को पूर्णतया काला करना है।** उदाहरण के तौर पर प्रश्न संख्या 35 का **C** सही है तो उस गोले को उत्तर पत्रक में इस प्रकार काला करें जैसा कि नीचे दिया हुआ है।

35.



- (द) काले किये गये गोले में कोई परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है ओएमआर , पत्रक को खुरचना, सफेद/ सुधार फ्लूड का प्रयोग और उत्तर मिटाना मान्य नहीं है। ऐसे उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
- (इ) प्रत्येक सही उत्तर के लिए **1.25** अंक दिये जाएंगे।
- (फ) ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा।

नोट:- ग्रामीण उम्मीदवारों को सुविधा देने हेतु नविस की बेबसाइट पर

www.navodaya.gov.in में 'Admission' वर्ग के अन्तर्गत, विभिन्न वर्गों

/श्रेणियों के, मॉडल प्रश्नों का एक सेट अपलोड किया गया है।

7. दिशा-निर्देश तथा उदाहरण

- (अ) प्रश्नों को हल करने से पहले अभ्यर्थी को परीक्षा पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ तथा प्रत्येक अनुभाग में दिये गये दिशा निर्देशों को ध्यान पूर्वक अवश्य पढ़ना चाहिए। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इस बात को सुनिश्चित कर लें कि परीक्षा के लिए प्राप्त परीक्षा पुस्तिका की भाषा वही है जो उन्होंने चाही है। यदि परीक्षा पुस्तिका अभ्यर्थी द्वारा चाही गई भाषा में न हो तो उसे परीक्षा प्रारम्भ होने से पहले ही अभ्यर्थी बदल लें। यह अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होगी कि वह आवेदन पत्र में दिये गए भाषा विकल्प के अनुसार परीक्षा पुस्तिका प्राप्त करे। परीक्षा समाप्त होने के बाद इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (ब) उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि ओ एम आर और प्रश्न पुस्तिका पर समान संख्या मुद्रित हो। विसंगति होने की दशा में कक्ष निरीक्षक को तत्काल सूचित किया जाए।
- (स) बिना किसी अन्तराल के कुल 2 घण्टे का समय होगा। दिव्यांग (भिन्न रूप से सक्षम) विद्यार्थियों को 40 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
- (द) तीनों प्रकार के खण्डों में से प्रत्येक में अलग-अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह प्रत्येक खण्ड के प्रश्न पर सुझाए गए समय से अधिक समय न लगाएं यद्यपि वे परीक्षा की कुल अवधि को अपनी इच्छानुसार समायोजित कर सकते हैं।
- (इ) प्रत्येक 30 मिनट के बाद एक घण्टी बजाई जाएगी।
- (I) किसी भी अभ्यर्थी को उपयुक्त प्रवेश पत्र के बिना चयन परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।
- (II) अभ्यर्थी निर्धारित कक्ष में 11.00 बजे पूर्वाह्न तक बैठ जाएं। देर से आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा।
- (III) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु सम्पूर्ण निर्धारित समय से पूर्व परीक्षा कक्ष/हाल नहीं छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

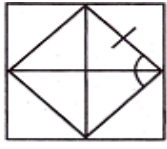
परीक्षा का स्वरूप

खण्ड –1 मानसिक योग्यता परीक्षा(मैट)

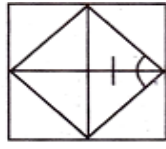
यह अशाब्दिक परीक्षा है। इसमें प्रश्न केवल चित्रों तथा आकृतियों के आधार पर होंगे। प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य मानसिक योग्यता को परखना है। इस खण्ड के 10 भाग हैं। प्रत्येक भाग में 4 प्रश्न होंगे। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं :-

प्रकार-1 (भिन्न आकृति छांटिए)

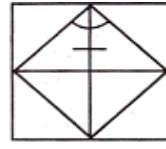
अनुदेश : प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 आकृतियां A,B,C और D दी गई हैं। इन चारों आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी न किसी प्रकार से एक समान हैं तथा एक भिन्न है। जो आकृति भिन्न है, उसे चुनें।



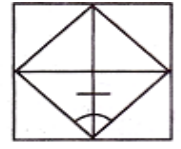
(A)



(B)



(C)



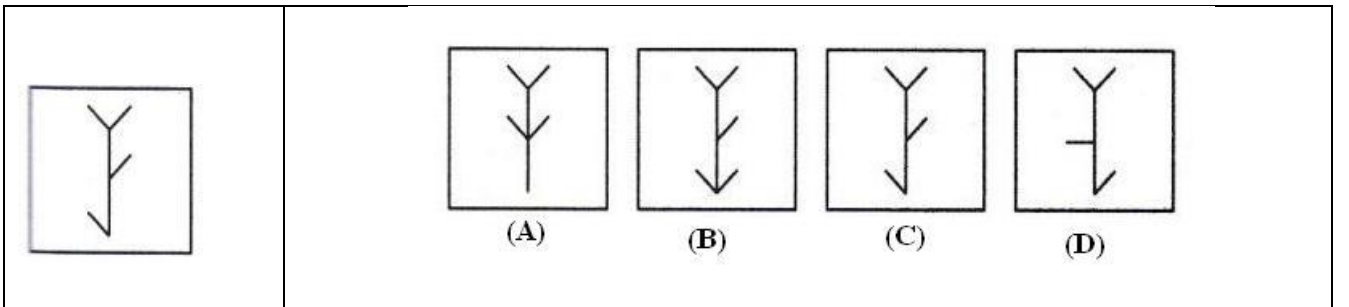
(D)

सही उत्तर (A) है

प्रकार-2 (आकृति मिलान)

अनुदेश

प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और उसके दाईं ओर चार उत्तर आकृतियां A,B,C और D दी गई हैं। उत्तर आकृति का चयन करें जो समस्या आकृति के बिल्कुल समान है।

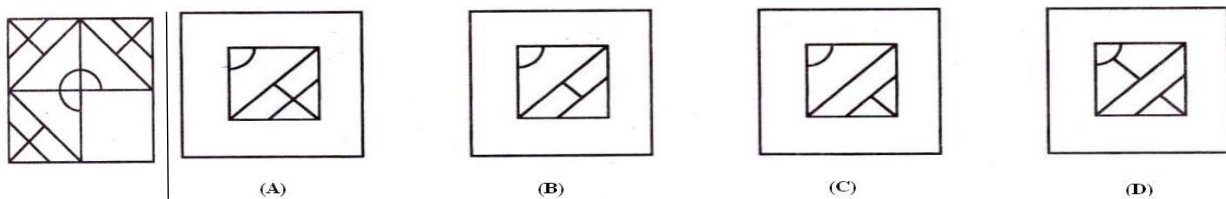


सही उत्तर (C) है।

प्रकार-3 (आकृति पूरक)

अनुदेश

प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक समस्या आकृति है इसका कुछ भाग लुप्त है। दाईं ओर दी गई A,B,C और D उत्तर आकृतियों को देखिए और ऐसी उत्तर आकृति का पता लगाइए जो बिना दिशा बदले समस्या आकृति के लुप्त भाग में फिट हो जाए, जिससे कि समस्या आकृति पूर्ण हो जाए।

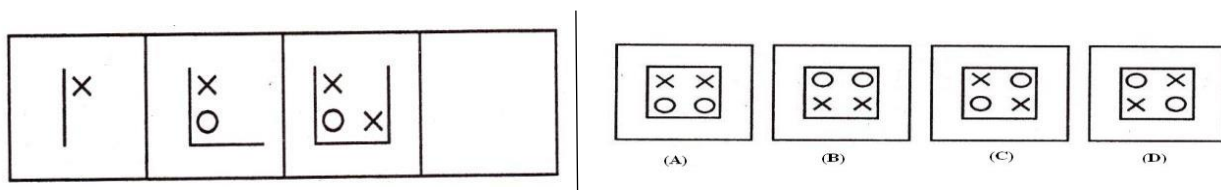


सही उत्तर (A) है

प्रकार-4 (आकृति श्रृंखला पूर्ण करना)

अनुदेश

प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर तीन समस्या आकृतियां हैं और चौथी आकृति के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। समस्या आकृतियां एक श्रृंखला में हैं। इसका पता लगाओ कि दाहिनी ओर उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति रिक्त स्थान पर आकर बाईं ओर की चौथी आकृति श्रृंखला को पूरा करती है।

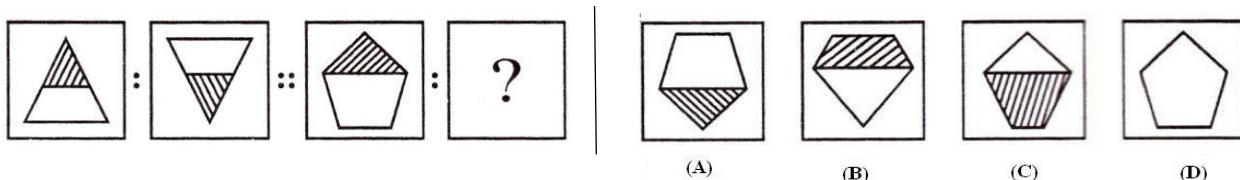


सही उत्तर (C) है

प्रकार-5 (समानता)

अनुदेश

प्रश्न संख्या 17 से 20 में दो समुच्चयों की दो-दो समस्या आकृतियां हैं। दूसरे समुच्चय में प्रश्न चिह्न (?) लगा हुआ है। पहली तथा दूसरी समस्या आकृति के बीच कोई सम्बन्ध है। इसी प्रकार का सम्बन्ध तीसरी और चौथी समस्या आकृतियों में भी होना चाहिए। उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति चुनिए जो प्रश्न चिह्न को हटा सके।

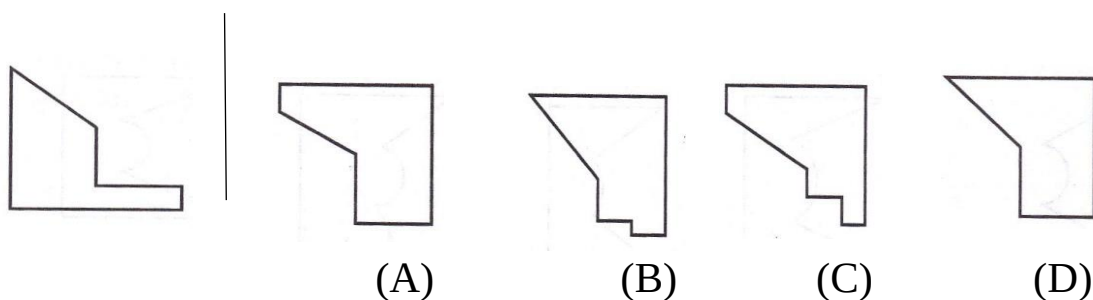


सही उत्तर (A) है

प्रकार-6 (रेखागणितीय चित्र पूरक) त्रिकोण, वर्ग, वृत्त)

अनुदेश

प्रश्न संख्या 21 से 24 में बाईं ओर रेखागणितीय आकृति का एक भाग प्रश्न आकृति के रूप में दिया गया है और इसका अन्य भाग दाईं ओर के उत्तर आकृति A, B, C और D में से एक है। ऐसी आकृति चुनिए जो रेखागणितीय आकृति को पूरा कर दे।

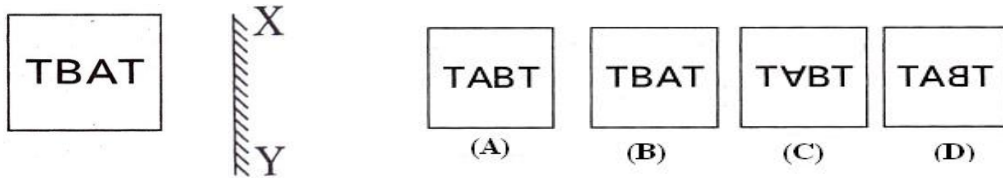


सही उत्तर (A) है

प्रकार-7 (दर्पण बिम्ब)

अनुदेश

प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर एक समस्या आकृति है और इसके दाईं ओर चार उत्तर आकृतियां A,B,C और D दी गई हैं। ऐसी आकृति चुनो जो समस्या आकृति का दर्पण में ठीक प्रतिबिम्बित होगा जब दर्पण को XY रूप में रखा जाए।

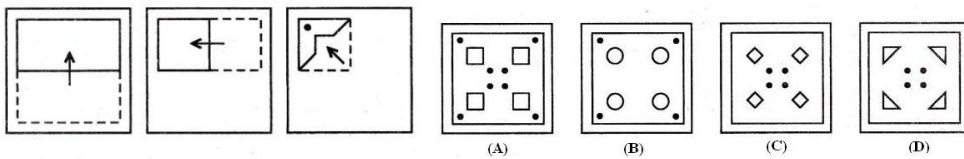


सही उत्तर (D) है

प्रकार-8 (पंच नियंत्रित आकृति-मोड़ना/खोलना)

अनुदेश

प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर समस्या आकृति के रूप में कागज का एक टुकड़ा मोड़ा तथा पंच किया गया है और दाईं तरफ चार उत्तर आकृतियाँ A,B,C व D दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनो जो कागज खुलने (Unfolded) पर कैसा दिखेगा।

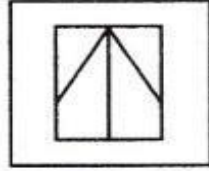


सही उत्तर (A) है

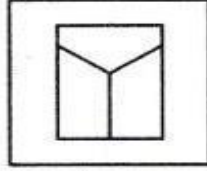
प्रकार-9 (स्पेस विजुअलाइजेशन)

अनुदेश

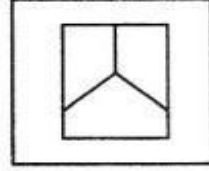
प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाँई ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाँई तरफ चार उत्तर आकृतियां A,B,C और D दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनो जो समस्या आकृति में दिए गए टुकड़ों को जोड़ने पर प्राप्त होगी।



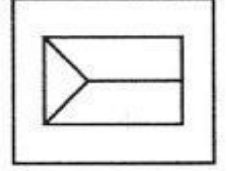
(A)



(B)



(C)



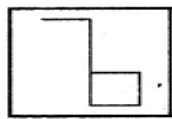
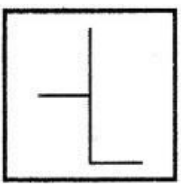
(D)

सही उत्तर (D) है

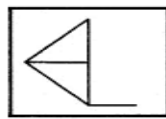
प्रकार-10(सन्निहित आकृति) (Embedded)

अनुदेश

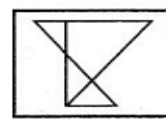
प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाँई ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाँई तरफ चार उत्तर आकृतियां A,B,C, D दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनो जिसमें समस्या आकृति छिपी/सन्निहित है।



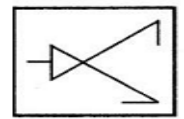
(A)



(B)



(C)



(D)

सही उत्तर (B) है

खण्ड 2: अंकगणित परीक्षा

इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थी की अंकगणित में आधारभूत दक्षता को मापना है। इस परीक्षा के सभी 20 प्रश्न निम्नलिखित 12 विषयों पर आधारित होंगे

1. संख्या और संख्या पद्धति
2. पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत सक्रियाएं
3. गुणनखण्ड और अपवर्त्य उनके गुणों से संबंधित
4. दशमलव और उन पर आधारभूत सक्रियाएं
5. भिन्नों को दशमलव में तथा दशमलव को भिन्न में बदलना
6. लम्बाई, द्रव्यमान, धारिता, समय, धन आदि का मापन
7. संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण
8. भिन्न संख्याएं – समान भिन्न (हर समान वाली) का जोड़ घटाना और गुणा (असमान हर वाली भिन्न और भिन्नों का भाग शामिल नहीं)
9. लाभ और हानि प्रतिशत की गणना के बिना (लाभ और हानि के प्रतिशत की गणना प्रकरण से छूट दी गई है)
10. परिमाप और क्षेत्रफल—बहुभुज का परिमाप, वर्ग, आयत और त्रिभुज का क्षेत्रफल (जैसे आयत के भाग)
11. कोण के प्रकार और इसका सरल अनुप्रयोग
12. बार-आरेख, ग्राफ और रैखिक चार्ट का उपयोग करके आंकड़ों का विश्लेषण

टिप्पणी:—धारणाओं तथा उससे सम्बन्धित दक्षताओं के बोध तथा उनके अनुप्रयोग के परीक्षण पर अधिक बल दिया जाएगा। अंकगणित परीक्षा में आने वाले सम्भावित प्रश्नों के प्रकार के विषय में अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन हेतु नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं—

उदाहरण— 1 (बोध का परीक्षण करना):

1000 का अभाज्य गुणनखण्ड क्या है ?

A. 10X10X10

C. 2 x 2 x 2 x 5 x 5

B. 2 x 5 x 5 x 10

D. 2 x 2 x 2 x 5 x 5 x 5

एक संख्या के गुणनखण्ड को अभाज्य गुणनखण्ड कहते हैं यदि (i) सभी गुणनखण्डों को गुणन (प्रत्येक गुणनखण्डों को उतनी बार गुणा करना है जितनी बार वह आया है) दी गई संख्या के बराबर हो तथा (ii) प्रत्येक गुणनखण्ड अभाज्य संख्या हो। यहाँ केवल विकल्प D दोनों शर्तों को पूरा करता है।

अतः विकल्प D सही उत्तर है।

उदाहरण 2 (बोध का परीक्षण करना):

पहली चार विषम संख्याओं का औसत क्या है?

- A. 5 B. 4 C. 5 D. 16

पहली चार विषम संख्याएं 1, 3, 5 तथा 7 हैं। इनका औसत $(1+3+5+7)/4$ है। अतः विकल्प B सही उत्तर है।

खण्ड 3: भाषा परीक्षा

इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थियों में पढ़ने के बोध को मापना है। इसमें चार गद्यांश हैं। प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न हैं। अभ्यर्थी गद्यांश को ध्यान से पढ़कर उन प्रश्नों के उत्तर दें।

गद्यांश के अनुपालन में नमूना गद्यांश और प्रश्न नीचे दिए गए हैं।

गद्यांश

वन हमारे लिए कई तरह से उपयोगी हैं। वे हमें घर व फर्नीचर बनाने हेतु लकड़ी प्रदान करते हैं। वन हमें ईंधन व कागज बनाने के लिए भी लकड़ी प्रदान करते हैं। वे पक्षियों, वन्य जीवों व कीट-पतंगों के लिए शरण देते हैं। वन वर्षा कराते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए जंगलों का अस्तित्व अतिमहत्वपूर्ण है। यह एक निर्विवाद व स्थापित तथ्य है कि हमें पारिस्थितिकी तंत्र का ध्यान रखना होगा। मानव के अनवरत अस्तित्व के लिए पर्यावरण व इसके संसाधनों को बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करना अपरिहार्य हो गया है।

1. पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा हेतु का अस्तित्व अनिवार्य है ।

- | | |
|-------------|------------|
| (A) वन | (B) मानव |
| (C) जानवरों | (D) संसाधन |

सही उत्तर (A) है

2. संरक्षण का विलोम है.....

- | | |
|-------------|-----------|
| (A) बचाव | (B) शरण |
| (C) निर्माण | (D) विनाश |

सही उत्तर (D) है

3. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बुद्धिमान का पर्याय नहीं है ?

- | | |
|----------------|---------------|
| (A) विवेकशील | (B) ज्ञानवान |
| (C) हास्यास्पद | (D) न्यायसंगत |

सही उत्तर (C) है

4. बढ़ई वनों पर निर्भर रहते हैं क्योंकि जंगल उन्हें देते हैं.....

(A) जलाने हेतु लकड़ी

(B) कागज बनाने हेतु लकड़ी

(C) फर्नीचर बनाने हेतु लकड़ी

(D) जानवरों के लिए घर

सही उत्तर (C) है

5. वन्य जीव बेघर हो जायेंगे यदि.....

(A) कागज की मिलें नष्ट हो जायेंगी

(B) घर बना दिए जाएं

(C) वनों का विनाश हो जाए

(D) पारिस्थितिकी तंत्र का ध्यान रखा जाए

सही उत्तर (C) है

ऑनलाइन आवेदन-पत्र अपलोड करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

जवाहर नवोदय विद्यालय के छठी कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र स्वतः स्पष्ट है। फिर भी, निम्नलिखित दिशा-निर्देश विद्यार्थी एवं उनके माता-पिता विशेष रूप से ध्यान में रखें।

1. केवल उसी जिले के मूल निवासी अभ्यर्थियों को, जिस जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित है तथा वह कक्षा-5 में अध्ययन कर रहा/ कर रही है, को जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा में सम्मिलित होने अनुमति दी जाएगी। दस्तावेज के सत्यापन के समय अस्थाई रूप से चयनित उम्मीदवार के माता-पिता को उसी जिले का, जहाँ उम्मीदवार ने कक्षा-5 में अध्ययन किया है और जनवीएसटी के लिए उपस्थित हुआ है, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित निवास प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
2. कृपया विवरणिका ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह सुनिश्चित करने के उपरान्त कि अभ्यर्थी निर्धारित मापदण्ड पूरा करता है, जैसे जन्मतिथि विनिर्दिष्ट सीमा के अन्दर (01.05.2013 से 31.07.2015), कक्षा-3, 4 तथा 5 किसी मान्यता प्राप्त संस्थाओं (सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त /एनआईओएस आदि) से अध्ययन किया हो, पूर्ण सूचना भरें।
3. आवेदन पत्र के साथ वर्ग जैसे-सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग, बालक/बालिका और ग्रामीण/शहरी के संबंध का प्रमाण पत्र सावधानी पूर्वक भर कर अपलोड करें। यदि प्रवेश के समय यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने जिस श्रेणी का चयन किया है और वह वास्तव में उस वर्ग का नहीं है तो उसका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। पंजीकरण पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाले प्रमाण पत्र पर प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर एवं मुहर आवश्यक है।
4. (अ) जन्मतिथि को अंकों में उसी के जैसा शब्दों में अंकित करें। विद्यालय अभिलेख एवं जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार सही जन्मतिथि लिखें। यदि किसी भी स्तर पर यह पता लगा कि अभ्यर्थी की जन्मतिथि विद्यालय के अभिलेख एवं जन्म प्रमाण पत्र से मेल नहीं खाती है तो उसका/उसकी अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। नविस सरकारी पोर्टल से आधार संख्या का प्रयोग करके दी गई सूचना को सत्यापित करने का अधिकार रखती है।
(ब) आवेदन पत्र में अभ्यर्थी स्थाई पहचान का चिह्न, जो स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके, अंकित करें।
5. जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए आवेदन करते समय अभ्यर्थी एवं उसके माता-पिता/अभिभावक दोनों के हस्ताक्षर अपलोड करें।
6. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि **16 सितंबर, 2024** है।

सावधानी : यदि कोई भी कॉलम रिक्त अथवा प्रविष्टियाँ अपूर्ण हैं तो आवेदन-पत्र रद्द हो सकता है। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह निर्धारित मापदण्ड जैसे: शिक्षा, आयु और वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग) और क्षेत्र (शहरी/ग्रामीण) जो लागू हो, पूरी करता हो। अभ्यर्थी के अस्थायी चयन के उपरान्त भी मूल आवेदन-पत्र में दी गई कोई भी सूचना सत्यापन में गलत/असत्य/ बेमेल पाई गई तो ऐसी दशा में प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा और इस संबंध में नवोदय विद्यालय समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। इस संबंध में कोई भी पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के प्रवेश, यदि ऐसा कोई है, जो गलत प्रमाण पत्र/ घोषणा/ सूचना के आधार पर प्राप्त कर लिया है तो ऐसे प्रवेश को न केवल निरस्त कर दिया जाएगा बल्कि समिति यह भी अधिकार रखती है कि विद्यार्थी के विद्यालय में सम्पूर्ण रहने के दौरान हुए व्यय की वसूली करे।

निवास प्रमाण-पत्र

अ. सभी उम्मीदवारों पर लागू जो जनवि में प्रवेश चाहते हैं उन्हें जिले का निवास सत्यापित करना होगा (एनआईओएस में अध्ययन करने वाले उम्मीदवारों को छोड़कर)

अस्थायी रूप से चयनित होने पर दस्तावेज सत्यापन के समय अस्थायी चयनित उम्मीदवार के माता-पिता को उसी जिले का भारत सरकार द्वारा अधिसूचित निवास प्रमाण पत्र जहाँ उम्मीदवार ने कक्षा-5 का अध्ययन किया है और जनवीएसटी के लिए उपस्थित हुआ है, जमा करना होगा ।

ब. एनआईओएस से अध्ययन करने वाले उम्मीदवारों के लिए लागू (जिले में निवास प्रमाणित करने के लिए और उम्मीदवार की श्रेणी यानि ग्रामीण/शहरी के पक्ष के लिए)

अस्थायी रूप से चयनित होने पर दस्तावेज सत्यापन के समय अस्थायी चयनित उम्मीदवार के माता-पिता को उसी जिले का निवास क्षेत्र निर्दिष्ट करते हुए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ग्रामीण या शहरी क्षेत्र का निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । यह प्रमाण पत्र जिला प्रशासन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो ।

Performa for Other Backward Class (OBC) Certificate

(CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR ADMISSION TO CENTRAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (CEIs), UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA)

This is to certify that Shri / Smt. / Kum. _____ Son / Daughter
of Shri / Smt. _____ of Village / Town _____
District / Division _____ in the _____ State belongs
to the _____ Community which is recognized as a backward class under:

- (i) Resolution No. 12011/68/93-BCC(C) dated 10/09/93 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 186 dated 13/09/93.
- (ii) Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19/10/94 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 163 dated 20/10/94.
- (iii) Resolution No. 12011/77/95-BCC dated 24/05/95 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 88 dated 25/05/95.
- (iv) Resolution No. 12011/96/94-BCC dated 9/03/96.
- (v) Resolution No. 12011/44/96-BCC dated 6/12/96 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 11/12/96.
- (vi) Resolution No. 12011/13/97-BCC dated 03/12/97.
- (vii) Resolution No. 12011/99/94-BCC dated 11/12/97.
- (viii) Resolution No. 12011/68/98-BCC dated 27/10/99.
- (ix) Resolution No. 12011/88/98-BCC dated 6/12/99 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 270 dated 06/12/99.
- (x) Resolution No. 12011/36/99-BCC dated 04/04/2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 71 dated 04/04/2000.
- (xi) Resolution No. 12011/44/99-BCC dated 21/09/2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 21/09/2000.
- (xii) Resolution No. 12015/9/2000-BCC dated 06/09/2001.
- (xiii) Resolution No. 12011/1/2001-BCC dated 19/06/2003.
- (xiv) Resolution No. 12011/4/2002-BCC dated 13/01/2004.
- (xv) Resolution No. 12011/9/2004-BCC dated 16/01/2006 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 16/01/2006.
- (xvi) Resolution No. 12011/14/2004-BCC dated 12/03/2007 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 67 dated 12/03/2007.
- (xvii) Resolution No. 12018/6/2005-BCC dated 10/10/2007 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 311 dated 12/10/2007.
- (xviii) Resolution No. 12015/2/2007-BCC dated 18/08/2010 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 232 dated 18/08/2010 & Corrigendum dated 11/10/2010.

Shri / Smt. / Kum. _____ and / or his family ordinarily
reside(s) in the _____ District / Division of _____ State.

This is also to certify that he / she does not belong to the persons / sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt. (SCT) dated 08/09/93 which is modified vide OM No. 36033/3/2004 Estt.(Res.) dated 09/03/2004 or the latest notification of the Government of India.

Dated:

District Magistrate/ Competent Authority

Seal

NOTE:

- (a) The term 'Ordinarily' used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.
- (b) The authorities competent to issue Caste Certificates are indicated below.
 - (i) District Magistrate / Additional Magistrate / Collector / Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner / Deputy Collector / Ist Class Stipendiary Magistrate / Sub-Divisional magistrate / Taluka Magistrate / Executive Magistrate / Extra Assistant Commissioner (not below the rank of Ist Class Stipendiary Magistrate).
 - (ii) Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate / Presidency Magistrate.
 - (iii) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar.
 - (iv) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and / or his family resides.
- (c) The annual income / status of the parents of the applicant should be based on financial year ending March 31, 2011.